स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

पोस्टल रजिस्ट्रेशन नं. HP/DMA/113

चेंजिंग वेज

Changing Ways

(साप्ताहिक)

वर्ष 01 | अंक 23 | पृष्ठ : 04 | मूल्य : 4 रुपये | धर्मशाला, 15 अगस्त 2016 | हर सोमवार को प्रकाशित

उम्मीद और आशंका के बीच जीएसटी

भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार की प्रक्रिया शुरू हुए 25 वर्ष हो गए हैं। चौथाई सदी पहले लगभग यही वक्त था, जब बजट और संबंधित घोषणाओं में व्यापार और औद्योगिक नीति को लेकर ऐसे बदलाव किए गए थे ताकि अंतरराष्ट्रीय सहयोग से विदेशी मुद्रा के संकट से निपटा जा सके। वह संकट अगस्त 1990 के तेल संकट से उपजा था। तब के वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने अपने बजट भाषण में कहा था कि उन विचारों को लागू करने का वक्त आ चुका था। वर्ष 1991 के सुधारों में सबसे मूल विचार था बाजारों का विनियमन करना ताकि कारोबार योग्य विनिर्मित वस्तुएं अधिक मुक्त ढंग से परिचालित हो सकें। लेकिन विदेश व्यापार और औद्योगिक लाइसेंस से नियंत्रण खत्म करने और अवमूल्यन, तथा सुधारवादी उपायों के एक लंबे सिलसिले ने पूंजी बाजार को बदलकर रख दिया। इसका वर्ष 1991 में शुरू हुए उदारीकरण पर सकारात्मक असर हुआ। व्यापार और विनिवेश विनियमन और पूंजी बाजार सुधारों ने प्राथमिक तौर पर निजी कारोबारी जगत को फायदा पहुंचाया। कार्पोरेट पूंजीगत खर्च में व्यापक विस्तार इसका उदाहरण है।

अब एक बार फिर से ऐसे ही प्रयास शुरू किए गए हैं। इंडिया में तेज रफ्तार से तरक्की करने की क्षमता हमेशा से रही है, लेकिन इंटरनेशनल इनवेस्टर्स इसके लिए सरकार की तरफ से जरूरी कदम उठाए जाने को लेकर सशंकित रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी और बैंकरप्सी बिल से यह बात साबित हो गई है कि बुनियादी सुधारों के लिहाज से देश को तरक्की की राह पर ले जाने की चाहत है और राजनीतिक नजरिए से हम सिर्फ उनके बारे में सिर्फ बात ही नहीं कर रहे हैं, हम उन पर अमल भी कर रहे हैं। सरकार असल में राजनीतिक रूप से मुश्किल कदम भी उठा रही है और कानून लागू करा रही है। इससे यह साबित होता है कि सरकार के पास बदलाव करने की राजनीतिक ताकत और चाहत है। देश के हालात को देखते हुए यह एक पॉजिटिव चीज है।

एक पर एक मुफ्त की पेशकश भी दायरे में

ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सामान के मुफ्त नमूने और उपहार और लोकप्रिय एक खरीदने पर एक मुफ्त सामान की पेशकश भी प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में आएंगे। सब कुछ सरकार की योजना के अनुसार हुआ तो जीएसटी अगले साल अप्रैल से लागू किया जा सकता है। कर विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार ने मॉडल जीएसटी विधेयक का जो मसौदा सार्वजनिक चर्चा के लिए पेश किया है उसके तहत ऐसे हर सौदे पर कर लगेगा जिसमें बिना पैसे के की गई आपूर्ति भी शामिल है। इसमें मुफ्त उपहार और नमूने तथा एक पर एक मुफ्त सौदे भी शामिल हैं।

मॉडल कानून के मसौदे की धारा-तीन में वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति को परिभाषित किया गया है जिसमें बिना मूल्य प्राप्ति के आपूर्ति भी शामिल है। प्रस्तावित कानून की अनुसूचि-एक के तहत बिना किसी प्राप्ति के आपूर्ति को कर योग्य माना गया है। सामान्य भाषा में कहें तो खरीदारों को मुफ्त की चीजों पर भी जीएसटी अदा करना होगा। जीएसटी पूरी तरह से आपूर्ति की अवधारणा पर आधारित होगा जिनमें कारोबार बढ़ाने के लिए कर योग्य व्यक्ति द्वारा प्राप्ति हासिल न होने के बावजूद आपूर्ति की गई वस्तु एवं सेवा अब शामिल होगी। इससे कंपनियों की बिक्री और विपणन पर असर होगा जो एक पर एक मुफ्त जैसी मुफ्त नमूने या मुफ्त आपूर्ति रणनीति का अनुपालन करती हैं। फिलहाल वस्तुओं के मुफ्त नमूनों पर उत्पाद शुल्क लगता है लेकिन वैट-सीएसटी नहीं लगता है। हालांकि उसकी अनुपात में कुछ राज्यों में वैट के तहत कर क्रेडिट दिया जाता है।

कर चोरों पर सख्त जुर्माने की तैयारी

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून के मसौदे के अनुसार कर चोरों को कड़े जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। 25 लाख रुपये की कर चोरी के लिए व्यक्ति को एक साल तक की सजा और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। यदि यह चोरी 50 लाख रुपये को पार करती है तो सजा तीन साल तक हो सकती है। यदि कर चोरी से संबंधित मूल्य 2.5 करोड़ रुपये से अधिक पाया जाता है तो जुर्माने के साथ साथ पांच साल के कारावास के साथ गैर-जमानती गिरफ्तारी पर भी विचार किया जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार ये प्रावधान निवेशकों का भरोसा डगमगा सकते हैं और कई तरह की चिंताएं पैदा कर सकते हैं। मौजूदा समय में

■ शेष पृष्ठ 2 पर

सवालों के घेरे में भी है जीएसटी

ऐसे समय में जब वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मूर्त रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, वहीं इसके मसौदा कानून को लेकर कुछ ऐसे सवाल भी उठ रहे हैं, जो इसे लेकर अक्सर पूछे जाते हैं। राजस्व संग्रह के लिहाज से पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर जीएसटी रियायत की 10 लाख रुपये की सीमा के क्या मायने हैं? न्यूनतम रियायत सीमा का अर्थ ऊंचे राजस्व से नहीं है। अनुमानों के अनुसार 80 फीसदी कर राजस्व शीर्ष 20 फीसदी डीलरों या उपक्रमों से आता है। केंद्र ने 25 लाख रुपये सालाना कारोबार वाली इकाइयों की ऊंची सीमा सुझाई थी लेकिन राज्य इसके 10 लाख रुपये के कम स्तर को तरजीह दे रहे हैं। दो साल पहले के सरकारी आंकड़ों के अनुसार 10 लाख से 25 लाख रुपये सालाना कारोबार वाली श्रेणी में 60 फीसदी डीलर आते हैं, जो राष्ट्रीय कर राजस्व में महज 2 फीसदी का योगदान करते हैं।

वास्तव में मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने तो छोटे करदाताओं पर बोझ कम करने और कर अनुपालन को सहज बनाने के लिए अपनी जीएसटी रिपोर्ट में 40 लाख रुपये के और ऊंचे स्तर की वकालत की थी। फिलहाल 1.5 करोड़ रुपये सालाना कारोबार वाले छोटे उद्योगों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से छूट मिली हुई है जबकि मूल्य वर्द्धित कर (वैट) और सेवा कर के मामले में यह सीमा 10 लाख रुपये है। 10 लाख और 50 लाख रुपये के बीच के सकल सालाना कारोबार वाले छोटे सेवा प्रदाताओं को मिश्रित कर दर से लाभ होगा क्योंकि मौजूदा समय में ऐसी कोई कर योजना उपलब्ध नहीं है, बशर्ते कि वो आगम कर जमा के तहत दावा न कर रहे हों।

■ शेष पृष्ठ 2 पर

महंगाई पर ज्यादा असर नहीं: आर. राजन

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रघुराम राजन का कहना है कि महंगाई पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का अधिक असर नहीं होगा, लेकिन इससे प्रॉडक्टिविटी और देश का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट (जीडीपी) बढ़ाने में मदद मिल सकती है। राजन ने कहा कि जीएसटी रेट तय होने के बाद सही अनुमान लगाया जा सकेगा, लेकिन हमें यह देखना होगा कि अगर नए टैक्स सिस्टम के लागू होने के बाद सामान और सेवाओं के दाम बदलते हैं तो उससे महंगाई में बढ़ोतरी न हो। जीएसटी के लागू होने के बाद पूरा देश सिंगल मार्केट में बदल जाएगा। इससे सामान होने की लागत कम होगी। माना जा रहा है कि ऐसा होने पर बिजनेस एफिशिएंसी बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि नए टैक्स रिफॉर्म से जीडीपी में कितनी बढ़ोतरी होगी, इस बारे में अलग-अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं। हालांकि उन्हें लगता है कि इससे 2 पर्सेंट की बढ़ोतरी का आंकड़ा बड़ा नहीं है। इसे हासिल किया जा सकता है। जीएसटी लागू करने के लिए संविधान संशोधन बिल को लोकसभा और राज्यसभा ने पास कर दिया है। इस टैक्स सिस्टम के जरिये सभी इनडायरेक्ट टैक्स के बदले सिंगल टैक्स लगेगा। आम सोच यह है कि नया टैक्स सिस्टम लागू होने से कुछ सामानों के दाम बढ़ सकते हैं, जिससे देश में आम महंगाई बढ़ सकती है।

राजन ने कहा कि जब तक रेट तय नहीं हो जाता, महंगाई पर इसके असर के बारे में कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा। हालांकि, मलेशिया जैसे देशों का तजुर्बा दिखाता है कि जीएसटी लागू होने के बाद अगर महंगाई बढ़ती है तो वह ज्यादा समय तक बनी नहीं रहती। राजन ने कहा कि नया टैक्स सिस्टम लागू करना सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है क्योंकि इसके लिए राज्यों से

■ शेष पृष्ठ 2 पर

सुधार की राह पर मील का पत्थर

जीएसटी से देश को कई तरह से फायदा होगा। पहला फायदा तो यही है कि अब एक देश, एक टैक्स की व्यवस्था होगी। सभी अप्रत्यक्ष करों को एक टैक्स के अंतर्गत लाने से कर पर कर (कैस्केडिंग टैक्स) और कई अन्य करों का अंत होगा, जिससे अंतत- टैक्स वसूली में लगने वाली लागत कम होगी। दूसरा, स्वैच्छिक कर अनुपालन में सुधार होगा और कर का दायरा बढ़ेगा। यह केंद्र व राज्य, दोनों की बेहतर आर्थिक सेहत के लिए जरूरी है। तीसरा फायदा, पूरे देश के लिए एक साझा बाजार होगा। इसमें यह सुविधा है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाला कारोबार स्थानीय करों से मुक्त होगा। चौथा फायदा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी बढ़ने से होगा, क्योंकि दायरा बढ़ने से कर-राजस्व बढ़ेगा, पारदर्शिता बढ़ेगी, अनुपालन में सुधार होगा और निजी निवेश बढ़ेंगे।

-एन के सिंह

आखिरकार 122 वां संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा से पारित हो गया। इसके बारे में कुछ ऐसे सवाल हैं, जिन्हें स्पष्ट किया जाना जरूरी है। पहला तो यही कि जीएसटी आखिर है क्या? यह एक ऐसा सवाल है, जिसका जवाब आज भी कई लोगों को नहीं पता। जीएसटी दरअसल उत्पादन, बिक्री और वस्तुओं व सेवाओं के उपभोग पर लगने वाला राष्ट्रीय स्तर का एक सामान्य अप्रत्यक्ष कर है।

भारत बेशक बड़ा देश है, मगर अफसोस की बात यह है कि यह एक साझा बाजार कभी नहीं रहा। यहां कराधान को लेकर सभी राज्यों की अपनी-अपनी व्यवस्था थी, और यह कई रूपों में थी, मसलन वैल्यू एडेड टैक्स (वैट), चुंगी, प्रवेश कर व लग्जरी कर आदि। ये कर केंद्र सरकार द्वारा वसूले जाने वाले करों से अलग थे। अलग-अलग कर और उनके अलग-अलग चरित्र के कारण व्यापार व निवेश में गंभीर रुकावटें आ रही थीं। इससे हमें वह फायदा नहीं मिल पा रहा था, जो सवा अरब की आबादी वाले देश में एक साझा विशाल बाजार के होने से मिल सकता था।

दूसरा सवाल यह है कि जीएसटी के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा इसलिए, क्योंकि संविधान के अनुसार कराधान की शक्ति को केंद्र व राज्य, दोनों में बांटा गया है। अनुच्छेद 265 इस शक्ति पर एक महत्वपूर्ण अंकुश लगाता है कि 'वैधानिक निकायों के अलावा कोई और संस्था टैक्स लगा या वसूल नहीं सकती।' इसका अर्थ है कि जीएसटी जैसे कर को वसूली के लिए संसद या राज्य विधानमंडल की मंजूरी अनिवार्य है। इस प्रावधान को बदलने की जरूरत थी, क्योंकि जीएसटी में तीन ही कर वसूले जाएंगे- पहला सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी), जो केंद्र सरकार वसूलेगी। दूसरा स्टेट जीएसटी (एसजीएसटी), जो राज्य सरकार अपने वहां के कारोबार पर वसूलेगी, और तीसरा, दो राज्यों के बीच वस्तुओं व सेवाओं के कारोबार पर वसूली जाने वाली इंटीग्रेटेड जीएसटी (आईजीएसटी), जो सिर्फ केंद्र सरकार वसूलेगी। ये काम तभी संभव हो पाते, जब कराधान व्यवस्था में संशोधन हो पाता। लिहाजा 122वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया।

जीएसटी को समझने के लिए इस बिल की कुछ विशेषताओं को भी हमें समझना चाहिए। इसकी पहली विशेषता यह है कि यह संसद और राज्य विधानमंडल को जीएसटी पर कानून बनाने के लिए समान अधिकार देती है। आईजीएसटी की ही बात करें, तो एक केंद्रीय कानून के तहत केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व-बंटवारे की व्यवस्था की जाएगी। दूसरी विशेषता, जीएसटी विधेयक में जीएसटी कौंसिल के गठन संबंधी प्रस्ताव हैं। यही कौंसिल जीएसटी के क्रियान्वयन से जुड़ी सिफारिशें करेगी। इसमें केंद्र व राज्य, दोनों के प्रतिनिधि होंगे, और वोटिंग के लिए केंद्र के पास एक-तिहाई व राज्य के पास दो-तिहाई शक्ति होगी। तीसरी विशेषता यह है कि जीएसटी तमाम तरह की वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगेगी, जिसमें मानव उपभोग के लिए शराब शामिल नहीं है। इसके अलावा, शुरू में यह कर कच्चे पेट्रोलियम पदार्थों, हाई-स्पीड डीजल, मोटर स्पिरट, प्राकृतिक गैस व विमानन टरबाइन ईंधन पर भी नहीं लगेगा। यह छूट कब खत्म करनी है, इसका फैसला जीएसटी कौंसिल ही करेगी। चौथी विशेषता राज्यों के राजस्व में होने वाले नुकसान की भरपाई से जुड़ी है। जीएसटी लागू करने के बाद राज्यों को राजस्व में होने वाले नुकसान की भरपायी के लिए संसद कानून बनाकर अगले पांच वर्षों तक मुआवजा देने की व्यवस्था कर सकती है। जाहिर है, यह कानून का एक ऐसा व्यापक हिस्सा है, जिसमें उद्देश्यों को अच्छी तरह परिभाषित किया गया है और उन तमाम रास्तों को सुझाया गया है, जिनसे इन उद्देश्यों को पाने में मदद मिलेगी।

जीएसटी विधेयक मई, 2015 में ही लोकसभा से पारित हो गया था, मगर राज्यसभा से पारित होने में इसे कुछ वक्त इसलिए लगा, क्योंकि इसे लेकर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की कुछ आपत्तियां थीं। उसकी पहली आपत्ति यही थी कि सांविधानिक प्रावधान करके कर की ऊपरी सीमा तय की जाए, ताकि ये अनुचित तरीके से न बढ़ाए जा सकें और उपभोक्ताओं के हितों को चोट न पहुंचे। कांग्रेस ने ऊपरी सीमा 18 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया था। उसकी दूसरी आपत्ति एक फीसदी अतिरिक्त टैक्स-वसूली को लेकर थी। पार्टी का मानना था कि यह बाजार के हित में नहीं है और इसका बोझ आखिरकार उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। कांग्रेस का तीसरा विरोध विधेयक में लिखित 'सप्लाई/ सप्लाइज' शब्द से जुड़ा था। उसका कहना था कि बिना परिभाषित किए उपबंध नौ और 19 में इसका इस्तेमाल किया गया है।

कांग्रेस की मांग थी कि एक ही मालिक की वस्तुओं की दो राज्यों के बीच आवाजाही को इस 'सप्लाई/ सप्लाइज' से बाहर रखा जाना चाहिए। कांग्रेस की चौथी आपत्ति जीएसटी कौंसिल को लेकर थी। विवादों के निपटारे के लिए वह 'जीएसटी डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी' के पक्ष में थी। उसका कहना था कि विवाद जीएसटी कौंसिल को नहीं भेजा जाना चाहिए। खैर, इनमें से ज्यादातर मुद्दों को अब सुलझा लिया गया है।

जीएसटी से देश को कई तरह से फायदा होगा। पहला फायदा तो यही है कि अब एक देश, एक टैक्स की व्यवस्था होगी। सभी अप्रत्यक्ष करों को एक टैक्स के अंतर्गत लाने से कर पर कर (कैस्केडिंग टैक्स) और कई अन्य करों का अंत होगा, जिससे अंतत टैक्स वसूली में लगने वाली लागत कम होगी। दूसरा, स्वैच्छिक कर अनुपालन में सुधार होगा और कर का दायरा बढ़ेगा। यह केंद्र व राज्य, दोनों की बेहतर आर्थिक सेहत के लिए जरूरी है। तीसरा फायदा, पूरे देश के लिए एक साझा बाजार होगा। इसमें यह सुविधा है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाला कारोबार स्थानीय करों से मुक्त होगा। चौथा फायदा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी बढ़ने से होगा, क्योंकि दायरा बढ़ने से कर-राजस्व बढ़ेगा, पारदर्शिता बढ़ेगी, अनुपालन में सुधार होगा और निजी निवेश बढ़ेंगे।

बहरहाल, जीएसटी के क्रियान्वयन का खाका हाल ही में जारी किया गया है। संविधान में संशोधन के बाद जरूरी यह है कि कम से कम आधे राज्य अपनी विधानसभाओं में इस बदलाव को इसी प्रक्रिया के तहत पारित करें। इन अनुमोदन के बाद जीएसटी विधेयक को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद संसद वास्तविक जीएसटी बिल को कबूल करेगी। ऐसा शीत-सत्र में होगा और उम्मीद है कि एक अप्रैल, 2017 से यह लागू हो जाएगा। तय समय पर जीएसटी लागू हो जाए, इसके लिए हमें बेहतर सॉफ्टवेयर तकनीक की भी जरूरत है। यह सच्चाई है कि जीएसटी हमें उन तमाम देशों के बराबर ले आएगी, जहां जीएसटी या वैट किसी न किसी रूप में मौजूद है।

ऑस्ट्रेलिया (10 फीसदी), कनाडा (पांच फीसदी), जर्मनी (19 फीसदी), न्यूजीलैंड (15 फीसदी), मैक्सिको (16 फीसदी) जैसे देश ऐसे ही हैं। लाभ के हिसाब से यह एक ऐसा मील का पत्थर है, जिसका हमें काफी दिनों से इंतजार था। इसका विकास पर किस कदर सकारात्मक असर पड़ता है, यह पूरी दुनिया जानती है। जीएसटी न सिर्फ आर्थिक गतिविधियों को तेज करेगी, बल्कि इससे सरकार सार्वजनिक खर्च बढ़ाने संबंधी पुरानी मांग को पूरा करने में भी सक्षम हो सकेगी।

-लेखक पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय सचिव हैं (साभार: दै.हि.)

पृष्ठ 1 के शेष

कर चोरों पर...

सेंट्रल एक्साइज ऐक्ट, 1994 के प्रावधानों के तहत इस तरह के अपराध के लिए आर्थिक जुर्माना फाइनैंस एक्ट, 1994 के तहत एक करोड़ रुपये और 2 करोड़ रुपये (सेवा कर कानून के संबंध में) है। हालांकि इन कानूनों के तहत अधिकतम कारावास की अवधि सात साल है।

विश्लेषकों का मानना है कि शुरुआती वर्षों में, जब जीएसटी प्रावधान नए होंगे, सरकार को ऐसे मुद्दों से गिरफ्तारी की धमकी के बजाय नरमी से निपटना चाहिए। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अनुसार गैर-अदायगी, इरादे के बजाय व्याख्या से जुड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए उचित व्यवस्था पेश की जानी चाहिए। जीएसटी कानून के ड्राफ्ट मॉडल में इस मॉडल कानून की धारा 62 और धारा 73 के तहत 12 विशेष अपराधों के लिए व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने का अधिकार शामिल किया गया है। इसमें इनवॉइस के बगैर या गलत इनवॉइस जारी कर सामान या सेवा की आपूर्ति करना, किसी सामान या सेवा की आपूर्ति के बगैर इनवॉइस जारी करना, एकत्रित कर को सरकार को नहीं देना, धोखे से रिफंड प्राप्त करना, कर भुगतान से बचने के लिए वित्तीय रिकॉर्ड में हेराफेरी आदि शामिल हैं।

कर विशेषज्ञों का कहना है कि राजकोषीय कानून होने के बावजूद, कर चोरी और उल्लंघन का पता लगाने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार मॉडल जीएसटी कानून में बरकरार रखा गया है। दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने मॉडल जीएसटी कानून में गिरफ्तारी के लिए 50 लाख रुपये की सीमा में बदलाव किया गया है। फाइनैंस ऐक्ट, 2016 में यह सीमा सेवा कर के लिए 50 लाख रुपये से बढ़कर 2 करोड़ रुपये की गई है।

सवालों के घेरे...

इसके उलट 40 लाख रुपये तक के वैट पर कुछ राज्य सम्मेकित कर की पेशकश करते हैं। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि कंपनियों की तरफ से बिक्री बढ़ाने वाली रणनीति के तहत दी जाने वाली स्कीमों में शामिल उत्पादों पर जीएसटी लागू होगा या नहीं? इस बारे में कानून बनकर तैयार होने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि मुफ्त में या डिस्काउंट पर दिए जाने वाले सामान पर पूरा कर लगेगा। इसके पीछे तर्क यह है कि किसी उत्पाद के लिए यह पता लगा पाना बहुत मुश्किल होगा कि वह वास्तव में मुफ्त में दिया जाने वाला है या नहीं? राज्यों को 1.5 करोड़ रुपये तक के सालाना कारोबार वाली इकाइयों और व्यापारियों के मामले में जीएसटी के आकलन, समीक्षा और आदेश जारी करने से संबंधित सभी प्रशासनिक अधिकार दिए गए हैं। लेकिन इससे अधिक कारोबार वाले मामलों में राज्यों के अलावा केंद्र को भी प्रशासनिक नियमन के अधिकार होंगे। इसका अर्थ है कि बड़े कारोबार को छोड़कर बाकी मामलों में सेवा कर के लगभग सभी मामले राज्यों के दायरे में आएंगे।

महंगाई पर ज्यादा...

मंजूरी लेनी होगी और एफिशिएंट तरीके से इसे लागू करना होगा। राजन ने भरोसा जताया कि सरकार अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू करने की डेडलाइन पूरी करेगी। मॉनिटरी पॉलिसी के इंचार्ज डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 55 पर्सेंट हिस्से पर जीएसटी का असर नहीं पड़ेगा। कई गुड्स और सर्विसेज पर इफेक्टिव टैक्स रेट इससे कम होगा। वहीं, जीएसटी से टैक्स बेस बढ़ेगा। ऐसे में हमें हायर टैक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी।

अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो। अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है।

-स्वामी विवेकानंद

पाठकों के लिए

विभिन्न सामाजिक, साहित्यिक एवं धार्मिक विषयों पर सभी प्रबुद्ध पाठकों के लेख, लघु कथाएं तथा कविताएं आमंत्रित हैं।

—हमारा पता—

संपादक,
चेंजिंग वेज, गुंजन भवन, तपोवन रोड चीपीओ सिद्धबाड़ी, धर्मशाला जिला कांगड़ा (हि.प्र.)-१७६०५७

Mail : badaltirahain@gmail.com

पति के ट्रक चालक होने का दंश

एचआईवी पीड़ित की आत्मकथा

गतांक से आगे...

मेरा दिमाग सांय-सांय करने लगा, इस दिशा में तो कभी सोचा ही नहीं था मैंने। शादी में प्रेम है कि नहीं इसका पैमाना कभी किसी ने नहीं बना पाया। पर मैंने यह नहीं सोचा था कि वे बाजारू औरतों से भी संबंध रखते होंगे।

चुपचाप खड़ी रही मैं वहीं, पैर के अंगूठे से चौखट की एक फांस उपाटते हुए। मुझे नहीं मालूम था कि अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है। मेरे ऊपर गाज गिर पड़ी जब मैंने जाना कि शिमला में डॉक्टरों ने कहा है कि अब तक तो मुझे भी यह बीमारी हो गई होगी। मैंने अपने पति को एड़ियां रगड़-रगड़ कर

बहुत गलीज मौत मरते देखा था। मेरे सिर के ऊपर का आसमान और पैरों के तले की जमीन दोनों घूमने लगे थे और मैंने किवाड़ कस कर पकड़ लिया । मैंने तुरंत उनसे कहा कि मुझे मेरे पति की रिपोर्टें दिखाई जाएं इस पर पता चला कि बदनामी के डर से उन लोगों ने मेरे पति की सभी रिपोर्टें जला दी थीं और अब मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि मेरे पति की मृत्यु एड्स से हुई थी ।

मेरे ससुराल वालों ने जानकारी के अभाव में मेरे साथ सख्त भेदभाव बरतना शुरू कर दिया था। रहने की कोठरी अलग थी, खाने-पीने के बर्तन तक अलग थे। उन्हें तो मुझे छूने से भी परहेज था। जिंदगी पूरी तरह बेआसरा हो गई थी। पिछले १५ दिनों में मैंने लगातार खुद को समझाया था कि हिम्मत से काम लेना है और रात-दिन मेहनत करके दोनों बच्चियों को पालना है लेकिन यह खबर जानने के बाद पता चला कि मेरी जान के ही लाले पड़ चुके थे। मैंने फोन पर रो-रोकर अपने पिता को इस घटना की सूचना दी तो वह गहरे संताप और चिंता में डूब गए। उन दिनों मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी पेट खराब रहना, बुखार रहना और सिर में दर्द रहने की परेशानी आदि। लेकिन ससुराल वालों ने टेस्ट करवाने से मना कर दिया। वे तीन महीने मैंने बहुत ही नारकीय स्थिति में काटे। वे जानते थे कि मुझे भी मेरे पति की जानलेवा बीमारी लग गई है और परिवार के जिस मान सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने मेरे पति का रोग सबसे छिपाया था, मेरे रोग के जग जाहिर होते ही वही मान सम्मान हमेशा के लिए नष्ट हो जाने वाला था। वे चाहते थे कि मैं व मेरी बच्चियां ऐसे ही घिसट-घिसट कर दम तोड़ दें और किसी को मेरे पति की बीमारी का पता न चले। लेकिन मेरे मायके वाले यह इसरार कर रहे थे कि मैं अपना टेस्ट करवा कर यथोचित इलाज शुरू करवाऊं।

आखिर तीन महीने बाद मेरे पिता जी व भाई-भाभी बैद्यनाथ आए और मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। वहां टेस्ट होते ही पता चल गया कि मैं पॉजिटिव हूं। मेरे पिताजी को जोर का चक्कर आ गया। वे इस सच का सामना नहीं कर पा रहे थे कि मैं इस जानलेवा बीमारी का शिकार हो चुकी हूं। वहीं से मुझे पता चला कि टांडा और हमीरपुर में सुविधा न होने के कारण इलाज के लिए मुझे शिमला के इन्दिरा गांधी मेडिकल कॉलेज जाना पड़ेगा। पैसे की मेरे पिता के पास भी भारी तंगी थी पर वे भरसक मेरा साथ दे रहे थे। अस्पताल में मुझे मेरी बच्चियों से दूरी बरतने को कहा गया था। छोटी बच्ची मात्र १ साल की थी तब लेकिन उसे दूध पिलाना भी बंद करना पड़ा। उन दिनों मेरे पास बच्ची को ऊपर का दूध पिलाने जितने पैसे भी नहीं होते थे। वह भूख से बहुत रोती-बिलखती थी तो मैं उल्टा सीधा कुछ खिला कर उसे चुप करने का प्रयास करती थी। वक्त ने मेरी पूरी जिंदगी ही तहस-नहस करके रख दी थी। चार महीने और भी गहन तनाव में रोते-धोते गुजर गए। फिर मेरे पिताजी और भाई मुझे लेकर इन्दिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला गए। मेरे और बच्चों के टेस्ट हुए। दोनों बच्चियों के संक्रमित होने का बहुत खतरा था क्योंकि वे पति की मृत्यु से कुछ समय पूर्व ही पैदा हुई थीं, लेकिन भगवान ने उस घुप्प अंधेरी रात में भी मुझे मंजिल तक पहुंचाने के लिए आशा की एक किरण भेज ही दी। दोनों बच्चियां स्वस्थ निकलीं। मैं पूर्ववत पॉजिटिव ही निकली लेकिन मेरा सीडी ४ बहुत अच्छा था अतः मुझे एआरटी शुरू करने की सलाह नहीं दी। शिमला के उस बड़े अस्पताल में मुझे एचआईवी से संबन्धित सब जानकारी दी गई, खान-पान, रहन-सहन अपने और दूसरों की सुरक्षा संबंधी हिदायतें। मुझे ताकीद की गई कि भविष्य मे कभी किसी पुरुष से शारीरिक संबंध बनाने या विवाह करने के विषय में न सोचूं और फिर हम मंडी अर्थात मेरे मायके आ गए। वहां दो-तीन दिन रह कर मैंने अपनी छोटी बच्ची को वहीं छोड़ा और सर पर कफन बांध कर बड़ी बेटी के साथ ससुराल आ गई। इरादा यह था कि मेहनत मजदूरी करके बच्चियों की नैया पार लगाऊंगी।

बैद्यनाथ में मैं चाय के बागानों में काम करने लगी, दूसरे छुटपुट काम भी करती थी। ससुराल वालों का भेदभाव व निर्मम व्यवहार जारी था। अब तक पूरे गांव में मेरी बीमारी की खबर फैल चुकी थी लेकिन गांव वाले मेरे व मेरी बच्चियों के प्रति बहुत मित्रवत और सहृदय थे। मैं अपने काम से काम रखती थी। मेरी बड़ी बेटी अभी बहुत छोटी थी और मेरे काम पर जाने के बाद उसकी सुरक्षा का प्रश्न भी खड़ा हो जाता था अतः मुझे उसको भी अपनी मां के पास मंडी छोड़ कर आना पड़ा। बेटियों की वजह से मैं

मायके के चक्कर जल्दी-जल्दी लगाने लगी। इसी तरह कुछ समय बीत गया। शिमला में डॉक्टरों ने मुझे बहुत पौष्टिक आहार की और तनाव रहित जीवन जीने की ताकीद की थी जिससे मेरा सीडी ४ काउंट अच्छा बना रहे और मुझे एआरटी लेने की आवश्यकता न पड़े। क्योंकि हर एंटीबायोटिक के अपने बुरे प्रभाव भी होते हैं और एक बार शुरू करने के बाद इसे ताउम्र लेना जरूरी था, इसलिए डॉक्टर चाहते हैं कि जहां तक संभव हो रोगी प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहे। परंतु यह संभव न हो सका। पौष्टिक आहार की कौन कहे हमें तो खाने के लाले पड़े थे और तनाव और चिंता का तो कोई ओर छोर ही न था सो २००७ में ही मेरी एआरटी शुरू करनी पड़ी। कुछ दिनों तक उन दवाइयों के साइड

इफैक्ट ने परेशान रखा लेकिन फिर धीरे-धीरे शरीर को इस दवा की आदत पड़ गयी और मैं पूर्णतः स्वस्थ जीवन जीने लगी। हमें साल में एक बार टीबी गर्भाशय व अपनी कुछ दूसरी जांचें करवानी होती हैं क्योंकि ये सभी बीमारियां एचआईवी का अभिन्न हिस्सा हैं, खासतौर पर यदि लापरवाही बरती जाए।

६-७ वर्ष इसी संघर्ष में निकल गए। बेटियां मेरे भाई-भाभी के पास रहती रहीं। इसी बीच टांडा हमीरपुर और शिमला तीनों जगह एचआईवी डिस्ट्रिक्ट कम्यूनिटी सेंटर खुल गए। २०१४ में जब मैं दवा लेने टांडा आई तो जिंदगी जिंदाबाद नेटवर्क के किशन जी को मैंने अपने संघर्ष व आर्थिक समस्याओं की व्यथा कथा सुनाई। सुनकर उन्होंने कहा कि दो दिन बाद हम आउटरीच वर्कर्स की नियुक्ति करने वाले हैं, तुम अपने कागजात लाकर आवेदन कर दो और इंटरव्यू दे दो। मैंने इंटरव्यू दे दिया और मेरा चयन हो गया। तो पिछले दो वर्षों से मैं टांडा के एआरटी सेंटर में आउटरीच वर्कर की जिम्मेदारी निबाह रही हूं। यहां हम इलाज के लिए आये मरीजों के पूरे टेस्ट करवाने में उनकी मदद से लेकर उन्हें एआरटी (एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी) के फायदे व दवाइयां लेने का सही तरीका बताते हैं। दवा के दो डोजेस में ठीक १२ घंटे का अंतर जरूरी होता है, इसका महत्व समझाते हैं। यह पहाड़ी स्थान है यातायात के साधन नहीं हैं, बस का भाड़ा भी बहुत ज्यादा है तो कई बार मरीज दवा लेने आने में कोताही कर बैठते हैं। हमारे पास सब मरीजों का रेकॉर्ड और शैड्यूल होता है, नागा होते ही हम जिला स्तर पर फिर ब्लॉक स्तर पर संपर्क साधते हैं तथा पहले टेलीफोन पर फिर जरूरी होने पर व्यक्तिगत स्तर पर दवाई लेने का क्रम पुनः शुरू करवाते हैं, यह कठिन काम है तथा इसमें समय-पाबंदी की बड़ी जरूरत है, लेकिन हमें इसका महत्व पता है सो बहुत निष्ठा से हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं। आज मैं एक ३४ वर्षीय एचआईवी पॉजिटिव महिला हूं। नियमित रूप से दवा जरूर खानी पड़ती है परन्तु पूरी तरह स्वस्थ हूं। मेरी बेटियां मंडी में मेरे भाई के पास रह कर पढ़ रही हैं । एक बेटी ११ की है जो इस साल सातवीं में आई है और दूसरी १३ की जिसने नवीं कक्षा में दाखिला लिया है। दोनों ही बच्चे समझदार और मेहनती हैं, अच्छी तरह पढ़ रहे हैं। मेरी इस लड़ाई में जीत का पूरा श्रेय मेरे पिता और परिवार को जाता है, जिन्होंने हर कदम पर मेरा पूरा साथ दिया। आज भी मेरा छोटा भाई मेरी बेटियों की जिम्मेदारी खुशी-खुशी उठा रहा है। गुंजन ऑर्गेनाइजेशन में काम करने से आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान की भावना भी आई है। यदि मैं अपने वर्तमान की तुलना भयावह अतीत से करती हूँ तो अपने आपको बहुत बेहतर स्थिति में खड़ा पाती हूं।

–समाप्त

सावधान!

इन आदतों का नतीजा हो सकता है स्किन कैंसर

कैंसर दुनिया और भारत में सबसे तेजी से बढ़ती बीमारियों में से एक है लेकिन हम आपको बता दें त्वचा कैंसर लोगों में इससे भी तेजी से फैल रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में करीब 35 लाख लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। हर साल करीब 20 लाख लोग इस बीमारी का इलाज करवाते हैं।

त्वचा कैंसर पैदा करने वाले मेलानोमा में पिछले चार दशकों में 800 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। इसी के चलते 25 और 29 के आयु वर्ग की महिलाओं के बीच यह सबसे आम कैंसर बना गया है। आज हम आपको बता रहें है त्वचा कैंसर होने की वे चार वजहें जो ज्यादातर लोगों की डेली लाइफ में शामिल हैं।

जेनेटिक इतिहास के अलावा भी हैं खतरे

ज्यादातर लोगों का मानना हैं कि परिवार के इतिहास में अगर त्वचा कैंसर से जुड़ी कोई घटना नहीं तो आप सुरक्षित हैं लेकिन हम आपको बता दें कि ये एक भ्रम है। सच्चाई यह है कि आनुवंशिक इतिहास को जोखिम पर प्रभाव पड़ता है लेकिन आपका व्यक्तिगत इतिहास भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सनस्क्रीन का सही इस्तेमाल जरूरी

लोग अक्सर धूप में जाने से पहले या स्विमिंग पूल में जाते समय सनस्क्रीन लोशन का इस्तेमाल करते हैं। सनस्क्रीन लगा लेने के बाद हर कोई यही सोचता है कि वो सुरक्षित है। लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा सोचना गलत है। धूप में निकलने से कम से कम 20 मिनट पहले सनस्क्रीन लगाने से ही फायदा मिलता है। ऐसा करने से सनस्क्रीन लोशन आपकी त्वचा में अच्छे तरीके से मिल जाता और सूर्य की किरणों के प्रभाव को बेअसर करने में मददगार होता है और यदि आप स्विमिंग करने जा रहे हैं तो वाटरप्रूफ सनस्क्रीन लोशन का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही अगर आप ज्यादा समय बाहर बिताने की योजना बना रहे हैं तो हर दो घंटे के बाद सनस्क्रीन लोशन लगाएं।

सूरज से दूर रहना नुकसानदेह

ये सच है कि सूरज के संपर्क में मेलानोमा का खतरा दोगुना हो जाता है लेकिन आपको बता दें कि धूप से जरूरत से ज्यादा दूर रहना भी बेहद खतरनाक है। गौरतलब है कि 35 साल की उम्र से पहले सूरज के संपर्क में ना आने से मेलानोमा की आशंका 75 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। कैंसर के संबंध में किए गए अध्ययन से यह बात सामने आई है कि सूरज की तेज किरणें न केवल त्वचा के कैंसर के जोखिम को कम सकती है वह स्तन और फेफड़े के कैंसर को भी नियंत्रित कर सकती हैं। दिक्कत ये है कि ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि कितने वक्त धूप में रहना सही है।

बहुत ज्यादा धूप भी ठीक नहीं

हालांकि ज्यादातर स्किन स्पेशलिस्ट आपको धूप सेंकने की सलाह देंगे क्योंकि इसी से आपको लाभकारी विटामिन डी मिलता है। ये शरीर के लिए बेहद उपयोगी होता है। लेकिन बहुत ज्यादा धूप में रहना आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। इसलिए टैनिंग आपके लिए स्वस्थ नहीं है क्योंकि यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें त्वचा डीएनए की रक्षा के लिए पिग्मेंट पैदा करती है, जो एक क्षति है और इसे ठीक नहीं किया जा सकता।

मददगार से मिलने 8 हजार किमी. दूर से आता है पेंगुइन

ब्राजील के रियो डी जनेरियो में बसे एक समुद्री तट पर रहने वाले व्यक्ति से मिलने के लिए एक पेंगुइन हर साल आठ हजार किलोमीटर से अधिक तैरकर आता है। पेंगुइन शख्स से मिलने के लिए इसलिए आता है क्योंकि पांच साल पहले व्यक्ति ने उसकी जान बचाई थी। एक अंग्रेजी वेबसाइट के अनुसार, 71 वर्षीय जाओओ परेरा डीसूजा ने साल 2011 में पेंगुइन की जान बचाई थी। उस समय पेंगुइन पत्थरों और चट्टानों के बीच मिला था। मछुआरे जाओ परेरा ने बताया कि वह एक दिन समुद्र तट पर मछली पकड़ने जा रहे थे तभी उन्हें पेंगुइन वहां दिखाई दिया। उसके शरीर पर पूरी तरह से तेल लगा हुआ था। उन्होंने कहा, पेंगुइन की जान बचाने के बाद मैं उसे अपनी झोपड़ी में ले आया। वहीं रोज उसकी देखभाल करने लगा और उसका नाम डिमडिम रख दिया। कई हफ्तों तक अपने पास रखने के बाद जाओ ने डिमडिम को वापस समुद्र में छोड़ दिया था। अब डिमडिम हर साल तकरीबन 8 हजार किलोमीटर तैरकर जाओ से मिलने के लिए आता है। इसके अतिरिक्त वह सालभर में आठ महीनें जाओ के पास ही रहता है।

बाहुबली-2 ने रिलीज से पहले ही कमा लिए 350 करोड़

खबर है कि बाहुबली-2 फिल्म ने रिलीज से पहले ही 350 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। फिल्म के पहले हिस्से ने भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए कीर्तिमान स्थापित किए थे। दर्शकों को बेसब्री से फिल्म के दूसरे हिस्से का इंतजार है। फिल्म की शूटिंग जारी है। इस बीच सुनने में आया है कि फिल्म ने रिलीज के पहले होने वाली डील के जरिए ही करीब साढ़े तीन सौ करोड़ रुपए की कमाई कर ली है।

बॉलीवुड लाइफ की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के थिएटर अधिकार करीब 10.50 करोड़ रुपए में गए हैं। जबकि कबाली फिल्म के लिए यह आंकड़ा 7.50 करोड़ रुपये का था। तमिलनाडु में फिल्म के अधिकार करीब 45 करोड़ रुपये में बेचे गए हैं। आंध्रा और तेलंगाना और कर्नाटक में अधिकार अभी बेचे जाने हैं।

जानकारी के मुताबिक इससे फिल्म की कमाई करीब सौ करोड़ रुपए की हो जाएगी। हिंदी के अधिकार 120 करोड़ रुपये के जाएंगे। ओवरसीज में फिल्म के अधिकार 52 करोड़ रुपए में बेचे जाएंगे। इस लिहाज से फिल्म अपनी रिलीज के पहले होने वाली डील के जरिए करीब साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये की कमाई कर लेगी। हालांकि इसमें कुछ और डील भी जोड़ी जाएंगी। बावजूद इसके कमाई का यह आंकड़ा चौंकाने वाला है।

स्वामी/प्रकाशक/मुद्रक/संपादक : संदीप परमार द्वारा सीपीओ सिद्धबाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा-176057, हि.प्र. से प्रकाशित एवं इम्पीरियल प्रिंटिंग प्रेस, गुरुद्वारा रोड धर्मशाला से मुद्रित। फोन नंबर : 01892-235315 Mail : badaltirahain@gmail.com